

19.6.18

पम्पवम) आणकेम कोर्ट सिंगलर में पेश हुई। प्राथम
श्रेणी विवाह प्रत्येक स्थायित्व। पम्पवम) का अवलोकन किया
गया। प्रस्तुत प्राथम पत्र में चाहा गया अनुतोष द्वारा
136 LRA के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता है।
प्राथम सामान्यतया की अपील कर अनुतोष प्राप्त कर
शकता है। प्रस्तुत प्राथम आवारहीन होने के स्वरित
किया जा रहा है। पम्पवम) फंसल शुभकर होकर गम्बर
के काम हो तथा सारिविल रूपवत है।

राजनी वाड

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (उपखण्ड)